तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए मु.न. 131/21 आत्माराम बनाम गिरधारीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी

श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री राघव शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

श्री देवेन्द्र मालाकार अधिवक्ता अप्रार्थी 1 से 27

निर्णय

दिनांक :– 29.07.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत जरिये अधिवक्ता श्री राघव शर्मा प्रस्तुत कर निवेदन किया है, ग्राम कसारी के खसरा नम्बर 451/83, 81, 82, 86, 87, 88, 89 कुल रकबा 15.36 हैक्टयर भूमि का उपयोग उपभोग करने हेतु ग्राम नांका तहसील परबतसर के प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान की भूमि में से 5 मीटर चौड़ा रास्ते की मांग की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.07.2021 को जबाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य स्वीकार है तथा अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया है कि प्रार्थी को उनकी खातेदारी सुदा भूमि में आवागमन हेतु हम अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि ग्राम नाका के खसरा 255, 450, 254, 249, 275, 249, 249, 247, 248, में से संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित स्थान एवं नाप चौप का रास्ता घोषित किया जाकर हमारी खातेदारी से कम किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है बल्की हमारी पूर्ण सहमति है, तथा रास्ते में गई भूमि के बदले हम अप्रार्थीगण मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करना चाहते है ना ही भविष्य में मांग करेगे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एंव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

सम्वत 2073–76 के अनुसार ग्राम कसारी, पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटि के खसरा नम्बर 451/83, 81, 82, 86, 87, 88, 89 कुल रकबा 15.36 हैक्टयर भूमि के प्रार्थी व अन्य सह खातेदारो की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम नाका तहसील परबतसर की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में वर्णित खसरा नम्बर 255, 450, 254, 249, 275, 249, 249, 247, 248 भूमि की खातेदार अप्रार्थीगण ने नाम दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार दिनांक 29.07.2021 को उक्त प्रस्तावित रास्ते का मौका निरीक्षण किया गया तथा हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर शामिल मिसल की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट ''क'' प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में रास्ता प्रस्तावित करते हुए मांग की गई है, जो मौके पर खुला हुआ है, पक्षकारो में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है अप्रार्थीगण स्वंय प्रार्थी का रास्ता देने हेतु सहमत है, मौके पर नाप चौप किया गया जिसके अनुसार 5 मीटर चौड़ा रास्ता मौके पर खुला हुआ है, जिसमें अप्रार्थीगण ने अपनी सहमति दी है अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आपसी सहमति से अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नाका के खसरा नम्बर 255, 254, 249, 247, 248 में से मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2021 में वर्णित लम्बाई – चौड़ाई की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी से कम कर गै.मु. कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। मौका रिपोर्ट निर्णय का पार्ट रहेगी। रास्ते में गई भूमि के बदले अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की राशि दय नहीं है। तदनुसार रास्ता रेकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)